संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्रमांक 4/समन्वय/ 2012/ 421 भोपाल, दिनांकः 03 /08/2012

प्रति,

1. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवाये मध्यप्रदेश ।
2. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, मध्यप्रदेश ।
3. समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक मध्यप्रदेश ।

विषयः– लोक सेवा केन्द्रों के **NIC** द्वारा साफटवेयर का **TEST RUN** 18 जुलाई से 15 अगस्त 2012 ।

संदर्भः–म.प्र.शासन, लोक सेवा प्रबंधन विभाग मंत्रालय के पत्र कमांक 862/2012/लोसेप्र/61 दिनांक 18.07.2012 ।

------0000------

विषयान्तर्गत में शासन के संदर्भित पत्र की छायाप्रति पत्र के साथ एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड की गई है । उक्त सदर्भित पत्र के तारतम्य मे दिये गये निर्देशानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करे ।

लोक सेवा प्रदाय गारंटी अधिनियम 2010 का कियान्वयन मा.मुख्यमत्री जी की प्राथमिकता में है । राज्य स्तर से समय समय पर जारी समस्त निर्देशों का भलिभांति अध्ययन कर, विभाग की तीनों सेवाओं के संचालन का कार्य उपरोक्त उल्लेखित पत्र मे दिये गये अनुसार समयसीमा मे करना सुनिश्चित करे । इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता बरतने पर उत्तरदायित्व आपका होगा ।

(डॉ. बी.एन. चौहान)
संयुक्त संचालक(समन्वय)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्रमांक 4/समन्वय/ 2011/ 422 भोपाल, दिनांकः 03/08/2011

प्रतिलिपि :– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–,

1. प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन मंत्रालय भोपाल ।
2. प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन लोक सेवा प्रबंधन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल ।
3. स्वास्थ्य आयुक्त मध्यप्रदेश स्थानीय कार्यालय भोपाल ।
4. समस्त जिला कलेक्टर मध्यप्रदेश ।

संयुक्त संचालक(समन्वय)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
सतपुड़ा भवन भोपाल (म.प्र.)
DMS
23 JUL 2012
आवक क्रमांक 3094

मध्यप्रदेश शासन
लोक सेवा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय

क्रमांक 862 /2012/लो.से.प्र./61 भोपाल, दिनांक 18/7/2012

प्रति,
संचालक
लोक स्वास्थ्य, संचालनालय
.... विभागाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश।

विषयः— लोक सेवा केन्द्रों के NIC द्वारा तैयार साफ्टवेयर का Test run 18 जुलाइ से 15 अगस्त 2012.

समस्त 50 जिलों में लोक सेवा केन्द्रों के संचालक के चयन की प्रकिया जारी है। लोक सेवा केन्द्रों के संचालन एवं उपयोग हेतु NIC द्वारा एक साफ्टवेयर तैयार किया गया है, इस सॉफ्टवेयर का यू.आर.एल. www.mpedistrict.gov.in है। लोक सेवा केन्द्रों पर आवेदन ऑनलाईन लिया जायेगा, जिसे सभी scanned संलग्नकों के साथ ऑनलाईन ही संबंधित पदाभिहित अधिकारी के यूजर एकाउन्ट में प्रेषित किया जायेगा। तत्पश्चात पदाभिहित अधिकारी द्वारा ऑनलाईन आवेदन प्राप्ति के आधार पर ही उनके निर्वतन (डिस्पोजल) की प्रक्रिया प्रारंभ की जायेगी। इस पूरी प्रक्रिया का परीक्षण इस प्रकार से किया जाना है ताकि यह पता लग सके कि उक्त साफ्टवेयर कैसा कार्य कर रहा है, क्या इसमे किसी प्रकार के परिर्वतन की आवश्यकता है।

उपरोक्त उद्देश्य की पूर्ति के लिए टेस्ट रन किया जाना है। टेस्ट रन का आशय है कि प्रत्येक विभाग की अधिसूचित सेवा के ऐसे आवेदन जो पूर्व में ही निराकृत हो चुके है उन्हें दोबारा उक्त वर्णित प्रक्रिया के अनुसार Process कर साफ्टवेयर का परीक्षण।

(अ) उद्देश्य

1. आवेदन के Format का परीक्षण, किसी भी सेवा के लिए चाही गई जानकारी की आवश्यकता का परीक्षण।
2. आवेदन के संलग्नकों की आवश्यकता एवं उपादेयता का परीक्षण।
3. आवेदन जमा करने में आने वाली कठिनाई एवं लगने वाले समय का अध्ययन करना
4. साफ्टवेयर के विभिन्न फीचर्स की समीक्षा करना।
5. Time motion study करना है, ताकि यह ठीक–ठीक पता लग सके कि एक आवेदन को ऑनलाईन लेने एवं उसे पदाभिहित अधिकारी तक भेजने में कितना समय लगता है एवं क्या–क्या व्यवधान/रूकावट या अन्य कोई कमी या परिस्थिति सामने आती है।

(ब) तैयारी

1. विभागाध्यक्ष कार्यालय में टेस्ट रन किया जाना है। टेस्ट रन के लिए कम्प्यूटर, स्केनर एवं नेटवर्क की आवश्यकता होगी।
2. विभागाध्यक्ष कार्यालय में प्रत्येक सेवा के 10–10 निराकृत आवेदन जो भोपाल जिले के हो या अन्य किसी भी जिले से उक्त संख्या में आवेदन प्राप्त किए जाऐ। इस हेतू प्रत्येक सेवा के लिए किसी संबंधित पदाभिहित अधिकारी के पास आये आवेदनों में से 10–10 आवेदनों का चयन किया जाना है।
3. तत्पश्चात् टेस्ट रन के लिए कम्प्यूटर पर उक्त आवेदनों को ऑनलाईन दर्ज करने की कार्यवाही की जावे। डिजिटल हस्ताक्षर की आवश्यकता होने पर भोपाल के जिला प्रबंधक लोक सेवा से सम्पर्क कर लिया जाए ताकि स्थानीय स्तर पर डिजिटल हस्ताक्षर के साथ पूरा टेस्ट –रन संभव हो सके।

(स) टेस्ट रन

1. विभागाध्यक्ष कार्यालय में चिन्हित प्रत्येक सेवा के 10–10 आवेदनों को दर्ज करना।
2. साफ्टवेयर के माध्यम से आवेदन दर्ज करने में लगने वाले समय की गणना करना।
3. आवेदन फार्म दर्ज करते समय विभिन्न प्रक्रियाओं यथा फार्म में जानकारी दर्ज करना, डाक्यूमेंट स्कॅन करना, डाक्यूमेंट अपलोड करना, डिजिटल सिग्नेचर करना (चूँकि लोक सेवा केन्द्र संचालक को डिजिटल हस्ताक्षर जारी नहीं हुए है अतः भोपाल जिला प्रबंधक से ही डिजिटल सिग्नेचरों का टेस्ट रन कराया जा सकता है) एवं इन प्रक्रियाओं में लगने वाले समय की अलग अलग गणना ।
4. आवेदन कम्प्यूटर पर दर्ज करते समय आई कठिनाईओं एवं रूकावटों को लिपिबद्ध करना।
5. सॉफ्टवेयर द्वारा कंडिका–1 में दर्ज आवेदन संबंधित पदाभिहित अधिकारी के यूजर एकाउन्ट में जाएगें। संबंधित पदाभिहित अधिकारी द्वारा उनके यूजर एकाउन्ट में प्राप्त आवेदन का निराकरण कर आवश्यक जानकारी/प्रमाण–पत्र सॉफ्टवेयर पर (पदाभिहित अधिकारी के हस्ताक्षर या बिना हस्ताक्षर के) Specimen प्रमाण–पत्र दर्ज किया जाए।
6. इस पूरी प्रकिया द्वारा आवेदन निराकरण करते समय सॉफ्टवेयर पर कार्य करने मे लगे समय/कठिनाई एवं रूकावट पर टीप प्रदाय की जायें।
7. आवेदन के प्रारूप और संलग्नक के रूप में निर्धारित दस्तावेजो की उपयुक्तता पर अभिमत दर्ज करना।

यह कार्यवाही 23 जुलाई से प्रारंभ होकर 31 जुलाई 2012 तक पूरी कर ली जाए। तत्पश्चात सम्पूर्ण कार्यवाही पर अपनी एक विश्लेषणात्मक टीप तैयार कर 6 अगस्त 2012 तक उपलब्ध करायें। एन.आई.सी. मुख्यालय भोपाल द्वारा इस पूरी कार्यवाही का निर्देशन, मॉनीटरिंग एवं समस्या समाधान किया जायेगा। (श्री प्रकाशराव टेक्निकल डायरेक्टर, दूरभाष क्र. 0755–2441310, मोबा.–9893560496, ई–मेल rao.prakash@nic.in एवं श्री अचल, मोबा. –9977943039) I

कृपया उक्त टेस्टिंग हेतु आवश्यक तैयारियां कराना सुनिश्चित करें एवं उक्तानुसार कार्यवाही निर्धारित समय सीमा में पूर्ण करावें।

(मनोहर दुबे)
उपसचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक सेवा प्रबंधन विभाग

पृ.क्र. 863/2012/लोसेप्र/61
दि. 18/7/2012

प्रतिलिपि—

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव

गृह/वन/सामान्य प्रशासन विभाग/राजस्व/लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण/श्रम/खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण/लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी/ऊर्जा/सामाजिक न्याय/नगरीय प्रशासन एवं विकास/आदिम जाति कल्याण/किसान कल्याण एवं कृषि विकास/परिवहन/महिला एवं बाल विकास/पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग।

2. नोडल अधिकारी

गृह/वन/सामान्य प्रशासन विभाग/राजस्व/लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण/श्रम/खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण/लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी/ऊर्जा/सामाजिक न्याय/नगरीय प्रशासन एवं विकास/आदिम जाति कल्याण/किसान कल्याण एवं कृषि विकास/परिवहन/महिला एवं बाल विकास/पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग।

उपसचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक सेवा प्रबंधन विभाग